राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :नर्सिंग/फार्मा./नियुक्ति/2011/559-67 दिनाँक : 11.7.2012

–: आदेश :–

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा अधिनियम 1965 के तहत फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनाँक 26.11.2011 यथा संशोधित 30.12.2011 एवं 23.02.2012 को विज्ञप्तियां जारी कर 1478 पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा इन पदों पर नियुक्ति हेतु ऑन लाईन परीक्षा आयोजित की गई। ऑन लाईन परीक्षा के प्राप्तांक एवं अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त बोनस अंकों के आधार पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा दिनाँक 29.06.2012 को परिणाम जारी किया गया।

फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्रों की जाँच कर चयन सूची तैयार करने हेतु विभाग द्वारा कमेटी का गठन किया गया।

चूंकि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा 516 अभ्यर्थियों के परिणाम रोके गये हैं, अतः गठित कमेटी द्वारा चयन योग्य संभावित अभ्यर्थियों हेतु पद रिक्त रखते हुये सभी संवर्गो में मैरिट के आधार पर विभाग द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच कर कुल विज्ञापित 1478 पदों के विरूद्ध 1343 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी करने की अनुशंषा की। इसके अतिरिक्त कमेटी द्वारा 32 अभ्यर्थियों को उनके दस्तावेजों की जाँच आदि के लिये काउसलिंग हेतु बुलाये जाने की सिफारिश की हैं। कमेटी द्वारा मेरिट में आने वाले 19 अभ्यर्थियों को चयन योग्य नही माना गया हैं।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 8582/2012 नवीन जैन एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में दिनाँक 29.05.2012 को निम्न अंतरिम आदेश पारित किया हैं :–

"In the meanwhile, selections are kept subject to final decision of the writ petition."

कमेटी की अनुशंषा के आधार पर 1343 अभ्यर्थियों की चयन सूची माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त एस.बी. सिविल रिट याचिका में होने वाले निर्णय के अध्याधीन जारी की जा रही हैं, जो एनेक्सर ''ए'' पर उपलब्ध हैं।

कमेटी की अनुशंषा के आधार पर 32 अभ्यर्थियों को जिनकी सूची एनेक्सर "बी" पर हैं, को निर्देश दिये जाते है कि वे दिनाँक 18.07.2012 को प्रातः 10.00 बजे निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर में मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवें तथा एनेक्सर "बी" में जो कमियां बताई गई हैं, उसकी पूर्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। जिन महिला अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलाया गया हैं उनमें से अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जिन महिला अभ्यर्थियों ने अपने जातिं प्रमाण पत्र अपने पति के नाम से प्रस्तुत किया हैं, वे अपने पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

कमेटी की अनुशंषा के आधार पर 19 अभ्यर्थियों की सूची, जो एनेक्सर "सी" पर हैं, को नियुक्ति हेतु योग्य नही माना गया हैं।

Sd/-
(बी0के0 दोसी)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/फार्मा./नियुक्ति/2011/559-67 दिनाँकः- 11-7-2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय, जयपुर।
6. कन्वीनियर फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा-2011 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करें।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय को भेज कर लेख है कि इस आदेश मय एनेक्चर-ए,बी, एवं सी को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर